SJIF 2015 : 3.801
ISSN: 2348-3083
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR
HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

माध्यमिक शिक्षा के सशक्तिकरण मे 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' की भूमिका

रजनीश अग्रहरि

शोधार्थी--पी एच॰डी शिक्षा विद्यापीठ म॰गाँ॰अं॰हिं॰वि॰वि, वर्धा

Abstract

शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्व है क्योंकि इससे छात्र उच्च शिक्षा के लिए और दुनिया में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्विकरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से हुए परिवर्तन तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने की आवश्यकता के मद्देनजर यह जरूरी है कि प्रारम्भिक शिक्षा के आठ वर्षों की अवधि के मुकाबले स्कूल शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को ज्ञान और कौशल में ऊँचा स्तर प्राप्त हो क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण-पत्र रखने वाले की औसत आमदनी उस व्यक्ति से ज्यादा होती हो, जो केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ा हो। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से स्वतन्त्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण, गुणवत्ता संवर्धन, एवं सरकारी नीतियों मे हुए बदलाव की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है साथ ही साथ राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा एवं उसकी गुणवत्ता के साथ ही साथ संसाधनो की

उपलब्धता, ड्रॉप आउट दर, सकल नामांकन दर, लिंग दर इत्यादि का तुलनातमाक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

***Key-word*: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ड्रॉप आउट दर, सकल नामांकन दर, लिंग दर, वैश्वीकरण।**

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

राष्ट्र के प्रगति एवं समृद्धि का मुख्य आधार शिक्षा है | जिस राष्ट्र के नागरिक जितने अधिक शिक्षित होते है, राष्ट्र उतना ही तीव्र गति से प्रगति करता है |

भारत वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है जहां देश के भावी कर्णधार अर्थात युवा अपने निश्चित भविष्य को लेकर चिंतित है |युवाओं में पतनग्रस्त नैतिकता, बढ़ता अपराधीकरण और शून्य होती मानवीय संवेदना भारत की प्राचीन गौरवशाली शैक्षिक परम्पराओं को धूमिल कर रही है |राष्ट्र के इस संशयात्मक एवं समस्यात्मक काल को मात्र शिक्षा ही नव दिशा प्रदान कर सकती है, जिससे राष्ट्र मे नवसृजन के युग का सूत्रपात हो सके |शिक्षा के इसी क्षमता के विषय में भारत रत्न एवं अफ्रीकी पुरोधा नेल्सन मंडेला ने कहा था की--**'शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है, जिसका प्रयोग आप सम्पूर्ण विश्व को बदलने के लिए कर सकते है' (Education is the most powerful weapons which you can use to change the world)** प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है की वह अपने राष्ट्र मे शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार करे ताकि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, या संस्कृति का हो सभी को शिक्षा हेतु समान अवसर बिना किसी भेद भाव के सुलभता से प्राप्त हो सके | जिससे

सभी सम्यक रूप से विकसित होकर समाज को एक आधुनिक, प्रगतिशील एवं सम्पन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके |

भारत की 20वी सदी में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार व सर्व व्यापकता हेतु वृहद स्तर पर प्रयास किए गए | इसी प्रकार 21वी सदी में माध्यमिक शिक्षा के प्रचार- प्रसार व सर्वव्यापकता को समाज के वांछित व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु समग्र प्रयास जारी है |

माध्यमिक शिक्षा के अभी तक पिछड़े होने का मुख्य कारण उसकी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान प्रणाली का न होना रहा है | भारत में वर्तमान समय के सापेक्ष माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे सम्पूर्ण देश की शिक्षा में एकरूपता व सामंजस्य स्थापित किया जा सके |इसी संबंध में स्वामी विवेकानन्द का कथन है की---- “जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके , राष्ट्रीय एकता का विकास कर सके, चरित्र गठन कर सके और विचारो का सामंजस्य कर सके वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत के 6 दशकों तक भारतीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य 'प्राथमिक शिक्षा' “को सार्वभौमिक बनाना रहा है | सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इत्यादि ने जहां 6 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के शिक्षा के स्वप्नों को एक नई दिशा प्रदान की वही माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की प्रणाली मे असमानता होने और संसाधनो की कमी ने माध्यमिक शिक्षा के विकास को अवरूद्ध कर दिया |माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) 1952 53 ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था की “माध्यमिक विद्यालयों को अपने विद्यार्थियो

को पर्याप्त ढंग से सुसज्जित करने के उत्तरदायित्व का निर्वाहन इस प्रकार करना चाहिए की वे राष्ट्र के उत्तरदायी नागरिक, व्यावसायिक कुशलता एवं चारित्रिक गुणो से युक्त हो"|

भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास :

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की सफलता राष्ट्र के नागरिकों पर निर्भर करती है | भारत के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ के नागरिक शिक्षित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, अनुशासित एवं राष्ट्रीय प्रेम से ओत-प्रोत हो | भारत मे परिलक्षित वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का सूत्रपात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 18वी शताब्दी के आस-पास हुआ | भारत मे आए अनेक ईसाई मिशनरियों ने अँग्रेजी शिक्षा प्रणाली कि आधारशिला रखी | प्रारम्भ में इन विद्यालयो मे अंग्रेज़ बालको कि शिक्षा व्यवस्था और ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए व्यवस्था कि गयी | इन्ही विद्यालयो में कुछ को विद्यालय कुछ को कालेज तथा को विश्वविद्यालय का नाम दिया गया | रामपुर, कलकत्ता, बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रांत मे ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित इन विद्यालयो में अँग्रेजी माध्यम से सामान्य शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी | अपनी प्रारम्भिक अवस्था में इन विद्यालयो की गुणवत्ता एवं संख्या की दशा भी काफी सोचनीय थी | सन 1841 ई॰ मे मद्रास प्रांत में एक मात्र माध्यमिक विद्यालय था लेकिन समय के साथ ही भारतीय समाज सुधारकों एक अंग्रेज़ अधिकारियों की जागरूकता के कारण यह स्थिति परिवर्तित होने लगी और परिणाम स्वरूप-सन 1905 में पूरे भारत में 5125 माध्यमिक विद्यालयों मे 5 लाख 90 हजार 119 छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण

करने लगे | इसी प्रकार सन 1922 में माध्यमिक विद्यालयो की संख्या 7530 हो गयी, वही स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय पूरे भारत में 11907 मद्यमिक विद्यालय थे जिनमे 1763 बालिका विद्यालय थे |

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र में माध्यमिक विद्यालयो की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है , प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षा की धीमी गति का प्रभाव माध्यमिक शिक्षा के विकास पर भी पड़ा, साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई महंगाई से शिक्षा भी महंगी हो गयी और समाज के मध्यम वर्ग को अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाना मुश्किल होने लगा | ऐसी स्थिति में वे ही छात्र-छात्राएं प्रवेश कर पाये जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी | स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ किया जिसके परिणाम स्वरूप सन 1961 मे 17329 माध्यमिक विद्यालय संचालित होने लगे | फिर भी राष्ट्रिय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कोई भी केंद्रीय योजना न होने के कारण अपेक्षित विकास नहीं प्राप्त हो सका | सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2009 मे 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' का आगाज किया |

स्वतन्त्रता के उपरांत भारत मे विद्यालयों का विकास : स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत लगभग पिछले 6 दशको में भारत मे स्कूली शिक्षा के विकास की प्रगति काफी धीमी रही |

वर्ष	विद्यालयो की संख्या (हजार में)			नामांकन (लाख में)			अध्यापको की संख्या (हजार में)		
	प्रा॰ वि	मा॰ वि	उ॰ मा.	प्रा॰ वि	मा॰ वि	उ॰ मा.	प्रा॰ वि	मा॰ वि	उ॰ मा.

1950-51	209.7	13.6	7.4	19.3	3.1	1.5	538	86	127
1960-61	330.4	49.7	17.3	34.9	6.7	3.4	742	345	296
1970-71	408.4	90.6	37.1	57.1	13.3	7.6	1060	638	629
1980-81	494.5	118.6	51.5	73.8	20.7	11.0	1363	851	926
1990-91	560.9	151.5	79.8	97.4	34.0	19.1	1616	1073	1334
2000-01	638.7	206.3	126.0	113.8	42.8	27.6	1896	1326	1761
2005-06	772.6	288.5	159.7	132.1	52.2	38.4	2184	1671	2155
2007-08	787.8	325.2	172.9	135.5	57.2	35.8	2315	1780	2127
2008-09	759.7	365.9	181.4	127.9	56.1	44.9	2397	1793	2410
2009-10	823.2	367.7	190.6	135.7	59.4	48.3	2339	1912	2480
2010-11	748.5	447.6	200.2	135.3	62.1	51.2	2100	1887	2500

(स्त्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य-

राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के पश्चात तमाम योजनाएँ बनी लेकिन क्रियान्वयन के तरीकों में खामियों के कारण यह धरातल पर मूर्त रूप में क्रियान्वित नहीं हो सका। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चार वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का निर्धारण कर 14 18 आयु वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को सामान्य शिक्षा

के साथ व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान करने की संस्तुति की गयी साथ ही साथ गुणात्मक सुधार करने, आवश्यक संसाधन उपलब्ध करने और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कार्यक्रम चलाने पर ज़ोर दिया गया | पहली बार माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरो की समानता के लिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहल की गयी |

माध्यमिक शिक्षा को लगातार सुलभ बनाने के लिए प्रयास तो हुए लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन के तौर पर कार्यक्रम का आभाव होने के कारण इसकी दशा में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाया | इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सभी को बिना किसी भेद-भाव के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2009-10 में राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम का सूत्रपात्र हुआ जिसमे कक्षा 9 12 तक के 14 18 आयु वर्ग के समस्त बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलबढ़ा करवाने की व्यवस्था की गयी | वर्ष 2009 में आरंभ की गयी राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) सरकार की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो भारत की वृद्धि और विकास में सहयोग कर सकती है | राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध करवाकर 5 वर्ष मे नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत एक उच्चतर मध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का था साथ ही सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानको के अनुरूप बनाते हुए महिला पुरुष भेद-भाव, सामाजिक आर्थिक असमानता, निःशक्तता जैसे बाधाओं को दूर करते हुए 2017 तक

-

माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यापकता एवं सुलभता की व्यवस्था करते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार करना था |

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) –-2009 :

'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रारम्भ की गयी | इस योजन का क्रियान्वयन 2009-10 में मानव जनशक्ति सृजित करने तथा वृद्धि, विकास एवं समानता को तीव्र करने हेतु पर्याप्त स्थितियाँ उपलब्ध करने के साथ ही साथ सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान की व्यापक सफलता को देखते हुए उसी के तरह राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान बहुपक्षी संगठनों गैरसरकारी संगठनों, सलाहकारों, परामर्शदाताओं, अनुसंधान एजेंसियों, तथा अधिकांश संबंधित संस्थाओं सहित लाभप्रद सहायाता लेता है।

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यान्वयन के पाँच वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9, 10 के लिए 75% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना।
2. सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

3. लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक, तथा निःसतता संबंधित बाधाओं को हटाकर सबके हेतु उपयुक्त एवं गुणवत्ता को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करना।
4. 12वीं पंचवर्षी योजना के अंत अर्थात वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर शिक्षा की व्यापक पहुँच को सुनिश्चित करना।
5. वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बंनाए रखने में बृद्धि और उसका सर्व सुलभिकरण ताकि वह अपनी योग्यता एवं कुशलता से राष्ट्रीय जीवन की उन्नति कर सके।

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान : वास्तविक सुविधाएं एवं निष्पक्ष हस्तक्षेप

वास्तविक सुविधाएं	निष्पक्ष हस्तक्षेप
• अतिरिकत कक्षा कक्ष • प्रयोगशालाएं • पुस्तकालय • कागज और शिल्प कक्ष • प्रसाधन ब्लाक • सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा	• छात्र शिक्षक अनुपात 30 :1 तक लाने हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति • विज्ञान, गणित एवं अँग्रेजी विषय के शिक्षण पर विशेष ध्यान • विज्ञान प्रयोगशालाएं • सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी तकनीकी समर्थित शिक्षण एवं शिक्षा • पाठ्यचर्या सुधार एवं शिक्षण सुधार

	• शिक्षको का सेवाकालीन प्रशिक्षण

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन :-

प्रत्येक राज्य में राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान 'राज्य कार्यान्वयन सोसायटियों' की मदद से योजना का समन्वय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) नोडल मंत्रालय के रूप मे कार्य करता है | यदपि राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनेक सहयोगी व्यवस्थाएं एवं संस्थाए भी उपलब्ध है |

एक राष्ट्रीय संसाधन दल शिक्षण अधिगम प्रक्रियायों, पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (ICT) शिक्षा तथा निगरानी और मूल्यांकन के तंत्रो में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है |

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा समर्थित तकनीकी सहयोग दल राष्ट्रीय संसाधन दल का संघटक है | तथा मंत्रालय से इसका सीधा संबंध है | तकनीकी सहयोग दल राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दोनों टीमों को तकनीकी और प्रचालन संबंधी सहयोग तथा विशेषज्ञता उपलब्ध करता है | इसके अतिरिक्त एनआरजी के अंतर्गत विभिन्न उपसमितियाँ जैसे पाठ्यक्रम सुधार उपसमिति, शिक्षक और शिक्षा विकास उपसमिति

आईसीटी उपसमिति और योजना तथा प्रबंधन उपसमिति गठित की है इन समितियों की वर्ष में तीन बैठकें आयोजित होती हैं। जिनमें वे परस्पर निर्धारित लक्ष्यों और प्रतिवद्धताओं की प्रगति से स्वयं को अवगत कराती है | इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एवं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUPEA) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समर्थित ईकाइयों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है | क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में तकनीकी कार्पोरेशन एजेंसी (TCA) का भी गठन किया गया है |

वित्तीय निविष्टियों के रूप में केंद्र का हिस्सा कार्यान्वन एजेंसियों को सीधे जारी किया जाता है जबकि राज्य का हिस्सा भी संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा एजेंसियो को जारी किया जाता है |

भारत में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं छात्र नामांकन :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या 121.02 करोड़ है,जिसमे 62.37 करोड़ पुरुष तथा 58.65 करोड़ महिला की संख्या है | साथ ही साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है, जिसमे पुरुष साक्षरता दर 84.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है | माध्यमिक विद्यालयो के संदर्भ मे प्राप्त सरकारी आकड़ों के अनुसार भारत मे कुल माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2,33,517 है , जिसमे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 99902, प्राइवेट एडेड माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 38947 तथा प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 94668 है | इन माध्यमिक विद्यालयों में छात्रो के सम्पूर्ण नामांकन की संख्या

38301599 है, जिसमे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में छात्रो की संख्या 16913960, प्राइवेट एडेड मे 8473474 तथा प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों कुल 12914165 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे है |

	सरकारी	प्राइवेट एडेड	प्राइवेट	सम्पूर्ण संख्या
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	99902	38947	94668	233517
सम्पूर्ण नामांकन	16913960	8473474	12914165	38301599

(स्त्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

- **माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर (GER) कुल नामांकन दर, ड्रॉप आउट दर एवं छात्र: शिक्षक अनुपात :-**

भारत मे वर्तमान समय मे माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (GER) 78.51 प्रतिशत है,साथ ही नेट नामांकन की दर लगभग 48.46 प्रतिशत है | माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट की दर 17.86 प्रतिशत कक्षा 8 से कक्षा 9 मे प्रवेश लेने वाले छात्रो की संख्या 91.58 प्रतिशत है | लिंग वरीयता इंडेस्क्स का प्रतिशत काफी कम लगभग 1.01 प्रतिशत जबकि जेंडर गैप 5 प्रतिशत के आस-पास है |

अगर हम छात्र : शिक्षक अनुपात पर गौर करे तो सरकारी माध्यमिक विद्यालयो में प्रत्येक शिक्षक पर औसत 27 छात्र की दर प्रदर्शित हो रहा है इसी प्रकार छात्र एवं कक्षा कक्ष का अनुपात लगभग 47 है |

शैक्षणिक संकेतक (Educational Indicators) :

(स्त्रोतविभाग साक्षारता और शिक्षा स्कूल :, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत

क्र.सं	संकेतक	प्रतिशत में
1.	माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (GER)	78.51
2.	NER माध्यमिक स्तर पर	48.46
3.	माध्यमिक स्तर पर औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर	17.86
4.	अंतरण दर (Transition rate) कक्षा VIII से IX	91.58
5.	लिंग वरीयता इंडेक्स (Gender Parity Index) (GPI)	1.01
6.	लिंग अंतर (Gender Gap)	5
7.	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों मे छात्र : शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio) (PTR)	27
8.	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों मे छात्र कक्षा कक्ष अनुपात Student Classroom Ratio (SCR)	47
9.	लिंग अनुपात (Sex Ratio) (वर्ष 2011की जनगणना के अनुसार)	9.40

सरकार)

- **भौतिक प्रगति (Physical Progress) वर्ष 2015-16 :**
  - ✓ **नवीन विद्यालयों का निर्माण :** (राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत), इस योजना के अंतर्गत 11599 नए माध्यमिक को स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमे 10082 नए विद्यालयों मे पठन-पाठन का कार्य आरंभ हो चुका है, जहां पर 9.72 छात्र नामांकित है | और 4131 विद्यालयों मे निरमान्न कार्य पूर्ण हो चुके है जबकि 3013 विद्यालयों मे निर्माण कार्य प्रगति पर है | (आंकड़े 15th June 2015 तक)
  - ✓ **माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना एवं संसाधन :** वर्तमान मे 337731 विद्यालयो में बुनियादी संसाधनो को पूरा करने हेतु राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है |

उपरोक्त संसाधनो की स्वीकृति और प्रगति का विवरण निम्नलिखित रूप मे दिया जा रहा है |

घटक (Component)	स्वीकृत (Approval)	पूर्ण (Com-pleted)	प्रगतिशील (In progress)
अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (Additional Classroom)	52750	20839	16774
विज्ञान प्रयोगशाला (science lab)	25948	10107	8532
कंप्यूटर कक्ष (Com-puter Room)	21864	6920	6297
पुस्तकालय (Li-brary room)	27428	10133	8929

कला/ हस्त कला कक्ष (Art/craft room)	31453	12062	9686
पेयजल (Drink-ing water)	12327	7096	2507
शिक्षक आवास (Teacher quarter)	5408 2975	623 1313	509 271

(स्त्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

- **महिला छात्रावास (Girls Hostel) :-** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों में से लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण और संचालन की केंद्र प्रायोजित योजना की मंजूर में 09-2008 शिक्षा में योजना इस है। रहा हो अमल पर इस से 10-2009 और थी गई लॉकोंब् 3,500 लगभग पिछड़े से दृष्टि की में से प्रत्येक ब्लॉक में 100 का योजना इस है। थायवस्व् की निर्माण के छात्रावास लिए के लड़कियों माध्यमिक चतरउच् और मिकयमाध् को लड़कियों यउद्देश् यमुख् हाजिरी उनकी और कराना धउपलब् शिक्षा की कक्षाओं (दसवीं-नौवीं) है करना सुनिश्चित, ताकि स्कूल दूर होने, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने या अन्य सामाजिक कारणों से उनकी शिक्षा में रूकावट न आए। मार्च 31, ने बोर्ड वीकृतिस् परियोजना को 2012 958 में योंराज् 13 और थी की सिफारिश की छात्रावासों 1,925 की रुपये करोड़ 300.93 लिए के बनाने छात्रावास राशि जारी की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से वर्ग आयु के वर्ष 18 से 14 जाति अनुसूचित की, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,

अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की छात्राओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन छात्रावासों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से पास होकर आने वाली लड़कियों को दाखिले में प्राथमिकता दी जायेगी। इनमें से कम से कम जाति अनुसूचित लड़कियां प्रतिशत 50, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की होंगी।

- **विद्यालयों मे सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (ICT) की उपलब्धता** :--

स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की योजना, दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी, ताकि माध्यमिक स्तर के छात्रों को आईसीटी कौशलों में क्षमता निर्माण करने और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रक्रियाओं को सीखने का अवसर मिल सके। यह योजना विभिन्न सामाजिक आर्थिक और अन्य भौगोलिक कठिनाइयों वाले छात्रों के बीच कम्प्यूटर -ज्ञान (डिजिटल डिवाइड) के अंतर को दूर करने में भी बहुत सहायक है। प्राप्त अनुभव के आधार पर जुलाई 2010 में यह योजना संशोधित की गई थी अब इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल दोनों आते हैं। कम्पयूटरों और अन्य उपकरणों, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, शिक्षकों के प्रशिक्षण, ई-विषय सामग्री तैयार करने ई-इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट स्कूल स्थापित करने तथा कम्प्यूटर साक्षरता और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराने के वास्ते आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उस योजना में

94,752 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए स्वीकृति दी गई।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 85343 विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (ICT) की सुविधा से युक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमे 62917 विद्यालयों मे इस सुविधा को लागू किया गया है जिसमे 26741 विद्यालयों। मे यह सुविधा पहले से ही पूर्ण थी जबकि 22426 विद्यालयों मे इस सुविधा को लागू किए जाने हेतु कार्ययोजना गतिमान है | राज्यों, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों और राज्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को परियोजना निगरानी और मूल्यांकन समूह से मिली स्वीकृतियों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता के सचिव इस समूह के अध्यक्ष हैं। इस परियोजना का खर्च केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन किया जायेगा, लेकिन सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का होगा।

- **व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) :-**

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत गणराज्य के 31 राज्यो (जिसमे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश भी सम्मिलित है) के 3654 सरकारी विद्यालयों में 16 विभिन्न व्यसायिक क्षेत्रों जिसमे कृषि,आटोमोबाइल, स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा, बीमा, निर्माण, स्वास्थ्य देख-भाल, सूचना प्रौधोगिकी एवं तकनीकी, खाद्य-रसद, मीडिया और मनोरंजन, बहु-आयामी शारीरिक शिक्षा एवं खेल, सुरक्षा, खुदरा क्षेत्र, टेलिकॉम, तथा पर्यटन एवं यात्रा जैसे विषयों में अभी तक 3,65,000 से ऊपर छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान किया ज्ञ है |

- **समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) :-** पिछली विकलांग बच्चों के लिए समन्वित योजना के स्थान पर माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना, 2009-10 में शुरू की गई थी1 इस योजना में नौवीं से बाहरवीं तक के विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांगता वाले सभी बच्चों को आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के बाद नौवीं से बाहरवीं तक की चार वर्ष की माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। इस योजना में शामिल सभी मदों के लिए केंद्रीय सहायता शत प्रतिशत होगी। राज्य सरकारों को केवल प्रत्येक विकलांग बच्चे के लिए 600 रूपये वार्षिक की छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी है। राज्य सरकारों /केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूल शिक्षा विभाग इस योजना को लागू करेंगे, जिसके लिए वे इस क्षेत्र के अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 241 विकलांग बच्चों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।
- **माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण**

माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना में विभिन्न शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ताकि किसी व्यक्ति की रोजगार के लायक क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराती है। यह योजना 1988 में लागू की गई थी। योजना में सुधार के लिए संशोधित योजना को 15 सितंबर, 2011 को मंजूरी दी गई थी। संशोधित योजना का

उद्देश्य देश में व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता को बढ़ाना, योजना बनाने और उसे लागू करने में उद्योगों के साथ तालमेल रखना, अनुपयुक्त पाठ्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की समस्या पर ध्यान देना था। इसमें यह भी पाया गया है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सशक्तिकरण से 2022 तक 50 करोड़ कुशल कर्मियों के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

इस योजना में राज्यों को प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण करने, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पाठ्यक्रम गाइड, प्रशिक्षण संबंधी मैनअल और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

इस योजना के अंतर्गत 9,619 स्कूलों में 21 हजार कक्षाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा चुका है और बाहरवीं कक्षा के स्तर के लिए लगभग 10 लाख छात्रों के लिए सुवधिा की व्यवस्था की गई है। योजना शुरू होने से अब तक 765 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है।

- **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और बाद में उच्च शिक्षा के स्तर पर कम हाजिरी और पढ़ाई छोड़ जाने वाले छात्रों की समस्या से चिंतित है। मंत्रालय इस समय राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क प्रक्रिया विकसित कर रहा है। इस फ्रेमवर्क से प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मानदंडों में एकरूपता

आयेगी। इसके लिए कार्यक्रमों तथा संस्थाओं की व्यावसायिक शिक्षा योग्यता और प्रत्यायन का पंजीकरण होगा। इस फ्रेमवर्क के मानदंड माध्यमिक और उच्चस्तर माध्यमिक स्कूलों, पोलीटेक्निकलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू किये जायेंगे। राज्य सरकारों तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के समूह के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

- **माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के वास्ते राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना**

केंद्र द्वारा प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के वास्ते राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना मई 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है, जिसमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आए और माध्यमिक स्कूलों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों की लड़कियों की हाजिरी बढ़े। इस योजना के अनुसार विवाह योग्य अविवाहित लड़कियों के नाम से 3 हजार रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट कराया जाता है, जिसे दसवीं कक्षा पास करने और 18 साल की उम्र हो जाने के बाद लड़की ब्याज सहित प्राप्त कर सकती है। इस योजना के दायरे में अनुसूचित जाति /जनजाति समुदायों की वे सभी लड़कियां शामिल हैं जो आठवीं पास है और वे सभी लड़कियां भी शामिल है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आठवीं पास करती है (चाहे वे अनुसूचित जाति/जनजाति की हों या ना हों) और किसी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूलों में नौवीं कक्षा में दाखिला लेती हों।

इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी केनरा बैंक है। योजना को लागू करने के लिए बैंक ने हाल में एक वेब-आधारित पोर्टल तैयार किया है। इस

पोर्टल से लाभार्थी अपना विवरण ऑनलाइन दे सकेंगे और राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाइन यह प्रमाण-पत्र देने के बाद कि लाभार्थी की उम्र 18 साल हो गई है और उसने दसवीं कक्षा पास कर ली है, परिपक्वता अवधि के बाद सीधे ही प्रोत्साहन राशि को लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन जमा कर दिया जायेगा। पिछले तीन वर्षों में 14 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1,52,660 लड़कियों के लिए 45.798 करोड़ रूपये (2009-10), 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2,41,528 लड़कियों के लिए 72.458 करोड़ रूपये (2010 11) और 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 5,43,532 लड़कियों के लिए 163.059 करोड़ रूपये (2011 12) की राशियां जारी की गई हैं।

- **मॉडल स्कूल योजना**

मॉडल स्कूल योजना की शुरूआत नवंबर 2008 में हुई थी। प्रधानमंत्री ने 2007 में इस के बारे में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य गांवों के प्रतिभाशाली बच्चों को 6000 मॉडल स्कूलों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाना है। इस येाजना पर 2009 10 से अमल हो रहा है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से 3,500 स्कूल शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में खोले जाने हैं। अब तक कुल 1,956 मॉडल स्कूल मंजूर किये जा चुके है, जिनमें से 438 स्कूल खुल चुके हैं। सरकार ने 24 नवबंर, 2011 को सरकारी –निजी क्षेत्र भागीदारी के अंतर्गत मॉडल स्कूल खोलने के तौर तरीके तय किये थे कुल 2464 से मे विद्यालयों 3451 जिसमे गयी की प्रदान स्वीकृति अंतर्गत के योजना इस को विद्यालयों है दिया कर प्रारम्भ करना कार्य से रूप सुचारु तक अभी ने लयोंविद्या 1290|

वित्तीय स्थिति) Financial Status) वर्ष (2015-16 तक)

(रु. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	अनुमानित बजट	संसोधित बजट
2009 10	1353.98	550
2010 11	1700	1500
2011 12	2423.9	2512.85
2012 13	3124	3172
2013 14	3983	3123
2014 15	5000	-
2015-16	3565	-

(स्त्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

व्यय के वितरण की प्रवृति (Trend of Distribution of Outlay):- वर्ष 2013 14मे एकीकरण का वर्ष होने के कारण व्यय अनुमानित व्यय से बढ़ गया, आकडे बाते है की जहां 2013 14 मे परिव्यय 4525 करोड़ रुपये था वही वर्ष 2015 16 में यह बढ़ कर 6451 करोड़ रुपये रुपये हो गया |

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत व्यय

(Outlay Approved under RMSA) रु॰ लाख मे॰

मद (Head)	2013 14		2014 15		2015 16	
	व्यय	प्रतिशत में **%**	व्यय	प्रतिशत में **%**	व्यय	प्रतिशत में **%**
नागरिक कार्य (**Civil**	129693	29%	125603	27%	200024	31%

works)						
अध्यापक वेतन (Teacher Salary)	209252	46%	200020	43%	231792	36%
गुणवत्ता (Quality)	75413	17%	92026	20%	144468	22%
समता (Equity)	23102	5%	27751	6%	45569	7%
MMER	15069	3%	15626	3%	23283	4%
सम्पूर्ण योग (To-tal)	**452529**		**461026**		**645136**	

(स्त्रोत: स्कूल शिक्षा और साक्षारता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

निष्कर्ष (Conclusion) :-

माध्यमिक शिक्षा को सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के किशोरावस्था के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बिना गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा के हम किसी स्तर पर शिक्षा के उन्नयन की बात नहीं स्वीकार कर सकते है, स्वतन्त्रता के उपरांत भारतीय नीति निर्माताओं ने शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान किया गया | वर्ष 2009 से पूर्व चूंकि सम्पूर्ण सरकारी नीतियों का रुझान प्राथमिक/ अनिवार्य शिक्षा को सर्व सुलभ करना था जिस हेतु 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' पारित किया गया | उसके उपरांत सरकार व नीति निर्माताओं का ध्यान माध्यमिक शिक्षा की पहुँच व उसके विस्तार पर गया जिसके परिणाम स्वरूप 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'(RMSA) आरंभन हुआ | अपने आरंभन के शुरुआती वर्षों मे

वित्तीय उपलब्धता, संसाधनो की कमी एवं नीतियो के क्रियान्वयन मे लचकता के कारण यह अभियान अपने लक्ष्य से भटकता प्रतीत हुआ |परंतु वर्ष 2011 के उपरांत इसके विकास एवं कियान्वयन मे तेजी आयी और नामांकन, ड्रॉप आउट दर, लिंग दर व महिलाओं के संसाधनो की पूर्ति कुछ हद तक गतिमान प्रतीत होने लगी | परंतु अद्यतन माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण विकास व गुणवत्ता के मुद्दे असंतुष्ट करते ही नज़र आए , यह तो भविष्य के गर्भ मे है की इस अभियान के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की स्थिति मे कितना सुधार हो पायेगा परंतु इतना तो अवश्य है की माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार एवं मानव संसाधन मंत्रालय की उदासीनता लगभग खत्म होती सी नज़र आ रही है | इस देश के नव कर्णधारों, शिक्षार्थियों के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'(RMSA) शिक्षा के क्षेत्र मे एक दीपक की भांति उम्मीदो को प्रकाशित कर रही है |

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान". नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर. *Retrieved* 13 नवम्बर 2016

एन.सी.ई.आर.टी.*(2008),* ऑल इंडिया रिपोर्ट सर्वे, *2002.*नई दिल्ली.

जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट , वॉल्यूम *3,* अगस्त, *2012.*

स्कूल एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार|

अग्रवाल, ए. एस. पी. (1995-97), डेवलपमेन्ट ऑफ एजुकेशन इन इण्डिया, सेलेक्टेड डाक्यूमेन्ट वाल्यूम -5.

अग्रवाल, जे. सी. और गुप्ता, एस. (2007), सैकण्डरी एजुकेशन, हिस्ट्री प्रोब्लम एण्ड मैनेजमेन्ट, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली

अरूण सी. (2002), यूनिवर्सलाइजेशन आफ सैकण्डरी एजुकेशन, जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम -4

पब्लिकेशन डिविजन, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया, सूचना भवन, सी जी ओ -काम्पलेक्स लोधी रोड़, न्यू दिल्ली

जे. एस. (2004), एनसाइक्लोपीडिया आफ इण्डियन एजुकेशन, वाल्यूम 1 एण्ड 2.एन. सी. ई. आर. टी., न्यू दिल्ली |

के. और रानी पी. गीता (2011), डेवलपमेन्ट आफ सैकण्डरी एजुकेशन इन इण्डिया, शिप्रा पब्लिकेशन,दिल्ली

सक्सेना, कृष्णा (2012), राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति

दास, एल (1973), डेवलपमेन्ट आफ सैकण्डरी एजुकेशन इन असम फ्राम 1874-1947 एण्डइट्स इम्पैक्ट आन द सोशिएल डेवलपमेन्ट, पीएच.डी., असम यूनिवर्सिटी, गौहाट

कुमार, सन्दीप एवं मिश्रा, मुरलीधर (2014), दिल्ली में माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्ध्ता (1993-2010) का अध्ययन, गोल्डन रिसर्च थोट्स, 3(12), जून, 1-9. पीएच.डी. (एजुकेशन), 62.

मुखोपाध्याय, मरमर (2002), माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियाँ, परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना और प्रशासन का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ , न्यूपा, नई दिल्ली, वर्ष-9,अंक 3.

सिंह, विरेन्द्र पी. एण्ड शर्मा, सन्दीप के. (2004), बेसिक फेसेलिटिज इन एलीमेन्ट्री लेवल स्कूल्स इन रूरल इंडिया, जर्नल आफ इंडियन एजूकेशन, एन.सी.ई.आर.टी, नईदिल्ली, वो. 34, नम्बर 1 मई 2008.